

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. :: 147 / 2017
सरकार बनाम् विद्याधर पुत्र दुलीचन्द, जाति-मेघवाल,
निवासी-पीपली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 14.09.2017


निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल विद्याधर पुत्र दुलीचन्द, जाति-मेघवाल, निवासी-पीपली द्वारा रोही मौजा पीपली की राजकीय भूमि ख.नं. 164 कुल रकबा 25.49 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.05 है० भूमि पर छान, खुड़डी बनाकर एवं छड़ी लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

र० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं... 23 पर
वर्ष... 2017-18 में रुपये... 15/- कायम किया
राजस्व लेखाकार


(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ